

भारतेन्दु नादय अकादमी, सेवा नियमावली, 1996

प्रथम संशोधन-1998भाग- एक सामान्य

124

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- 11 यह नियमावली भारतेन्दु नादय अकादमी सेवा रही जायेगी ।
- सेवा की प्राप्ति 2- 12 यह गुरन्त प्रवृत्त होगी ।
- परिभाषाएं 3- यह सब विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:-
- 13 किसी पद के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारो" का तात्पर्य परिशिष्ट में प्रत्येक पद के प्रति इस स्थ में उल्लिखित प्राधिकारो से है,
- 14 "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान में भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,
- 15 "संविधान का तात्पर्य" भारत का संविधान से है,
- 16 "सरकार का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश को राज्य सरकार से है,
- 17 "राज्यपाल का तात्पर्य" उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,
- 18 "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मोतिक स्थ से नियुक्त व्यक्ति से है,
- 19 "सेवा" का तात्पर्य भारतेन्दु नादय अकादमी सेवा से है,

(प्रो. सुनील कुमार शर्मा)

निदेशक

भारतेन्दु नादय अकादमी

चण्डी

(निदेशक)

(125)

{६} "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् को गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार को गयी हो,

{अ} "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष के पहले जुलाई से प्रारम्भ होने वाले 12 मास को अवधि से है,

भाग-दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4-

{१} सेवा को सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय ।

{२} जब तक कि उप नियम {१} के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिए जाएं सेवा को सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है ।

परन्तु:

{एक} नियुक्ति प्राधिकारों किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या अध्यक्ष उसे स्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ।

{दो} राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त पदों का सृजन कर सकते जिन्हें वे उचित समझे ।

भाग-तीन -भर्ती

भर्ती का स्रोत

5-

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी :-

{१} निदेशक

{एक}

शासन को पूर्व सहमति से अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष के लिये संविदा पर की जायेगी ।

(२)
(जे. कृष्ण कृष्ण गौरी)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा विभाग
सरकार

(संकेत छाप)
विविध, संरक्षित विभाग
प्रमुख, प्रशासनिक विभाग

....3

॥८॥

॥ एक ॥

॥ एक ॥

१५६॥

॥ एक ॥

॥ एक ॥

1.

• • • 4

(127)

- 4 -

§ 9 § आडियो विद्युत
टेक्नोलॉजिज

[एक]

वाशिंग्टन जंक्शन मोलिक स्प से नियुक्त स्टेज लाइट
आपरेटर जिन्होंने मर्तो के प्रथम दिवस के स्प में
दस वर्ष की सेवाएँ पूर्ण कर ली हैं, प्रोन्नति के अर्थ में
1. मौलिक स्प से नियुक्त स्टेज लाइट आपरेटर कम
इलेक्ट्रोलॉजिज जिन्होंने मर्तो के प्रथम दिवस
के स्प में पाँच वर्ष की सेवाएँ पूरी कर ली हैं
या साउण्ड टेक्नोलॉजिज ₹ 975-1660 के वेतन-
मान में नियुक्त पदधारकों से ओ जायेगी जिन्होंने
मर्तो के प्रथम दिवस के स्प में 10 वर्ष की सेवाएँ
पूरी कर ली हैं, प्रोन्नति द्वारा 2

2. उपयुक्त अर्हकों न मिलने पर तोषो मर्तो या
सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबन्ध
पर ।

§ 10 § सहायक लेखाकार

[एक]

1. मौलिक स्प से नियुक्त लिपिक-टैक/कनिष्ठ लिपिक
को सहायक लेखाकार पद की उर्हता रखते हैं एवम्
जिन्होंने मर्तो के वर्ष के प्रथम दिवस के स्प में
8 वर्ष की सेवाएँ पूरी कर ली हैं, प्रोन्नति द्वारा ।

2. उपयुक्त अर्हकों न मिलने पर तोषो मर्तो या सेवा
स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबन्ध पर ।

§ 11 § आधुनिक

(जे. कृष्ण रेड्डी मर्तो)
निदेशकवाशिंग्टन जंक्शन आडियो
नियंत्रक

[एक]

1. मौलिक स्प से नियुक्त लिपिक-टैक/कनिष्ठ लिपिक
को आधुनिक एवम् टैक को निर्धारित उर्हता
रखते हैं एवम् जिन्होंने मर्तो के वर्ष के प्रथम दिवस
के स्प में 8 वर्ष की सेवाएँ पूरी कर ली हैं, प्रोन्नति द्वारा ।

2. उपयुक्त अर्हकों न मिलने पर तोषो मर्तो या
सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबन्ध
पर ।

§ 12 § स्टेज लाइट
आपरेटर कम
इलेक्ट्रोलॉजिज

[एक]

1. रंगमण्डल में ₹ 950-1500 के वेतनमान में नियुक्त
लाइट टेक्नोलॉजिज से प्रोन्नति के आधार पर को
वाशिंग्टन जिन्होंने मर्तो के प्रथम दिवस के स्प में
8 वर्ष की सेवाएँ पूरी कर ली हैं, प्रोन्नति द्वारा ।

2. उपयुक्त अर्हकों न मिलने पर तोषो मर्तो या सेवा
स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबन्ध पर ।

(गोपबन्धु कृष्ण)
वाशिंग्टन, संस्कृति विभाग
उपपर सहायक लाइट



- 5 -

- § 13 § ज्येष्ठ लिपिक § एक § 1. मौलिक रूप से नियुक्त लिपिक/टंकक/कनिष्ठ लिपिक जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस के रूप में 8 वर्ष को सेवायें पुरो कर ली हों, प्रोन्नति द्वारा ।
2. उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर सीधो भर्ती अथवा सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति या अनुबन्ध पर ।
- § 14 § पुस्तकालय सहायक § एक § 1. चयन समिति के माध्यम से सीधो भर्ती द्वारा/ उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर सेवा स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबन्ध पर ।
- § 15 § साउण्ड टेक्नोशियन § एक § 1. सीधो भर्ती द्वारा/उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबन्ध पर ।
- § 16 § लाइट टेक्नोशियन § एक § 1. - तदेव -
- § 17 § लिपिक/टंकक-कम कनिष्ठ लिपिक § एक § 1. 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से अर्ध कर्मचारियों को पदोन्नति द्वारा ।
2. उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति या अनुबन्ध पर ।
3. शेष चयन समिति के माध्यम से सीधो भर्ती द्वारा ।
- § 18 § सेमिस्ट्रेस-कम-वार्डरोब-असिस्टेन्ट § एक § 1. चयन समिति के माध्यम से सीधो भर्ती द्वारा । उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबन्ध पर ।

§ 19 § ड्राईवर

§ 20 § 50/चयन समिति के माध्यम से सीधो भर्ती द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत नियुक्तियां निर्धारित योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारों/क्लोनर जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस के रूप में 8 वर्ष को सेवायें पुरो कर ली हों, प्रोन्नति द्वारा । उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर सीधो भर्ती द्वारा ।

§ 20 § चपररासी/चोकोदार (एड) /क्लोनर/मंच परिवार

चयन समिति के माध्यम से सीधो भर्ती द्वारा ।

आरक्षण

6-

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

(... ..)
... ..
... ..

7-

४क४ भारत का नागरिक हो, या

४ख॥ तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थगित
निवास के अभिप्राय से पहले जनवरी, 1962 के
पूर्व, भारत आया हो या,

॥ ग ॥
भारतद्वय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत
में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान,
बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश को निया,
युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंज़ानिया
॥ पूर्ववर्ती तंज़ानिका और अन्जोबार ॥ से प्रजनन
किया हो ।

॥परन्तु उपर्युक्त श्रेणी "ख" या "ग" के अभ्यर्थियों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी ४४ के अभ्यर्था से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अधिसूचना छाया, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले ।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी १ ग १ का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

ऐसे अर्थों को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न हो तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, जिससे परीक्षा या प्रस्तावना में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायेगा ।

महिमा, महतीति विदुः
महिमा योनिः सा त्व

योग्यताएं 8- सेवा में विभिन्न पदों पर सीधे भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक है:-

<u>पद</u>	<u>अर्हताएं</u>
§ 1 § निदेशक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा में एम0ए0, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था § राष्ट्रीय अथवा विदेशी § से नाट्य कला में डिप्लोमा नाट्य निर्देशन/प्रदर्शन/स्टेज क्राफ्ट में कम से कम 15 वर्ष का उच्चस्तरीय अनुभव ।

§ 2 § सहायक निदेशक

अनिवार्य

- 1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक को उपाधि ।
- 2- थियेटर से संबंधित प्रदेश-स्तरीय संस्थाओं में पाँच वर्ष का प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुभव ।

वरीयान

- 1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नाट्य कला में डिप्लोमा ।

§ 3 § प्रशिक्षक
§ स्टेज क्राफ्ट §

- 1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री के साथ एन.एच.डी. का डिप्लोमा या भारतेन्दु नाट्य अकादमी का डिप्लोमा या संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ।

- 2- 5 वर्ष का अनुभव जिसमें 2 वर्ष का शोध कार्य या सृजनात्मक कार्य तथा 3 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव सम्मिलित हो ।

- 3- हिन्दी व अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान ।

(नो. ... ति.)

भारत सरकार
संस्कृत

(...)
उपनि. संस्कृत विभाग
उच्च प्रमुख कार्यालय

.....8

§ 4 § प्रशिक्षक
§ अभिनय §

1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री के साथ एन.एस.डो. का डिप्लोमा या भारतेन्दु नाट्य अकादमी का डिप्लोमा या 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि को शैक्षिक अर्हता ।

2- 5 वर्ष का अनुभव जिसमें 2 वर्ष का शोध कार्य या सृजनात्मक कार्य तथा 3 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव सम्मिलित हो ।

3- हिन्दी व अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान ।

§ 5 § प्रशिक्षक
§ शास्त्रीय एवं
आधुनिक
भारतीय नाट्य §

1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री के साथ एन.एस.डो. का डिप्लोमा या भारतेन्दु नाट्य अकादमी का डिप्लोमा या 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि ।

2- 5 वर्ष का अनुभव जिसमें 2 वर्ष का शोध कार्य या सृजनात्मक कार्य तथा 3 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव सम्मिलित हो ।

3- हिन्दी व अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान ।

§ 6 § प्रबन्धक

1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।

2- राज्य स्तरीय रंगशालाओं में 5 वर्ष का अनुभव जिनमें प्रबन्धन का अनुभव हो ।

वरोगान

1- किसी छपाई प्राप्त थियेटर संस्था में 7 वर्ष का अनुभव जिसमें प्रशासनिक/वित्तीय अनुभव अपेक्षित होगा ।

2- किसी सरकारों अथवा निजी संस्था जो प्रकाशन कार्य से संबंधित हो, के कार्य का अनुभव तथा छपाई प्रक्रिया का अच्छा ज्ञान ।

3- मान्यता प्राप्त संस्थाओं से नाट्य कला में डिग्री/डिप्लोमा ।

(15)

§ 7 § प्रशासनिक अधिकारी

- 1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में लेखा सम्बन्धी अथवा प्रशासनिक कार्यों का पाँच वर्ष का अनुभव ।

वरीयान

- 1- संगीत/नाटक/शैक्षिक संस्था में प्रशासनिक कार्यों का 10 वर्ष का अनुभव । वाणिज्य ^{अथवा} अर्थशास्त्र में स्नातक ।

- 2- नाटक सम्बन्धी आयोजन का पाँच वर्ष का अनुभव, परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में पाँच वर्ष का अनुभव ।

§ 8 § प्रोडक्शन असिस्टेंट-
कम-लाइट एण्ड
साउण्ड स्टोरकोपर

अनिवार्य

- 1- स्नातक

वरीयान

- 1- संबंधित विधा में तीन वर्ष का डिप्लोमा ।
- 2- निजी मान्यता प्राप्त संस्था में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव ।

§ 9 § आडियो विजुअल
टेक्नीशियन

- 1- हाई स्कूल द्वितीय श्रेणी ।

- 2- आडियो विजुअल में तीन वर्ष का डिप्लोमा/प्रशिक्षण ।

वरीयान

- 1- रंगकर्म में कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।
- 2- सिनेमा आटोग्राफ का लाइसेंस ।
- 3- मान्यता प्राप्त नाट्य संस्था में दो वर्ष का अनुभव ।

§ 10 § सहायक लेखाकार

अनिवार्य

- 1- वाणिज्य में स्नातक ।
- 2- लेखा कार्य का तीन वर्ष का अनुभव ।

§ 11 § आशुलिपिक

अनिवार्य

- 1- इण्टरमीडिएट
- 2- हिन्दी टंकण व आशुलेखन में 30 व 80 शब्द प्रति मिनट ।

वरोयान

- 1- अग्रेजी टंकण व आशुलेखन में क्रमशः 40 व 100 शब्द प्रतिमिनट ।
- 2- कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान ।

§ 12 § स्टेज लाइट
आपरेटर कम-
इलेक्ट्रिशियन

अनिवार्य

- 1- हाई स्कूल
- 2- पाँच वर्ष का किसी थियेटर/स्टूडियो में इलेक्ट्रिशियन कार्य का अनुभव या औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य अनुभव ।

वरोयान

निजी नाट्य संस्था में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव

§ 13 § ज्येष्ठ लिपिक

- 1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में पाँच वर्ष के लिपिकीय कार्यों का अनुभव, हिन्दी टंकण का ज्ञान § 30 श 0 प्र 0 मि 0 §

वरोयान

वाणिज्य स्नातक एवं लेखा कार्यों का अनुभव ।

§ 14 § पुस्तकालय सहायक

- 1- बोलिवुड/डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त पुस्तकालय में 2 वर्ष कार्य का अनुभव ।

§ 15 § साउण्ड
टेक्नोशियन

- 1- कम से कम हाई स्कूल या उसके समकक्ष तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से साउण्ड टेक्नोशियन में सर्टिफिकेट ।

- 2- फिल्म/टेलीविडियो/टेलीविजियो/टेलीविजियो प्राप्त रंगशाला में आधुनिक ध्वनि उपकरणों को चलाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव ।

वरोयान

ध्वनि उपकरणों की मरम्मत का अनुभव ।

(ने. ...)
...
...

(ने. ...)
...
...

§ 16 § लाइट टेक्नोलॉजीयन

अनिवार्य

- 1- कम से कम हाईस्कूल या उसके समकक्ष योग्यता/इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट ।
- 2- नाट्यशाला में बिजली को वायरिंग तथा फिटिंग का अनुभव एवं बिजली के उपकरणों का नाटक के निष्पन्नदन के समय प्रयोग करने का कम से कम ~~दो~~ वर्षों का अनुभव ।

वरीयान

नाट्य कला से संबंधित विद्युत उपकरणों की मरम्मत का अनुभव ।

§ 17 § लिपिक/टंकक/
कनिष्ठ लिपिकअनिवार्य

- 1- इण्टरमीडिएट
- 2- हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति ।

वरीयान

मान्यता प्राप्त संस्था में कार्य करने का 2 वर्ष अनुभव ।

§ 18 § सेमिस्ट्रेल-कम--
वार्डरोब असिस्टेंटअनिवार्य

- 1- हाई स्कूल
- 2- संबंधित विधा में मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट ।

वरीयान

नाट्य वेड्यूषा सिक्लाई में 2 वर्ष का अनुभव ।

(श्री. प्रवीर कुमार शर्मा)
निदेशक
माधेपुर नृत्य अकादमी
बल्लभ

(श्री. व. कृष्ण)

§ 19 § ड्राइवर (सि. व. संस्कृति विभाग)
सि. व. संस्कृति विभाग

- 1- हाईस्कूल
- 2- 5 वर्ष का हल्के/भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस ।
- 3- हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने की धमता ।



1. *[Faint, illegible text]*

[Faint, illegible text]

2. *[Faint, illegible text]*

[Faint, illegible text]

3. *[Faint, illegible text]*

[Faint, illegible text]

4. *[Faint, illegible text]*

[Faint, illegible text]

5. *[Faint, illegible text]*

[Faint, illegible text]

6. *[Faint, illegible text]*

[Faint, illegible text]

7. *[Faint, illegible text]*

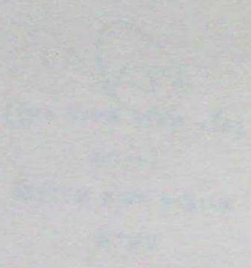
[Faint, illegible text]

8. *[Faint, illegible text]*

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



- 12 -

§20§ चपरासी/
चौकीदार

अनिवार्य

- 1- जूनियर हाईस्कूल
- 2- साइकिल चलाने की क्षमता
- 3- हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता

वरीयान

2 वर्ष का सेना, स्वायत्तशासी/सार्वजनिक संस्था में कार्य का अनुभव।

§21§ क्लोनर

जूनियर हाईस्कूल, ड्राइविंग लाइसेंस, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक प्रशिक्षण, हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता।

§22§ मंच परिचर

जूनियर हाईस्कूल, क्याति प्राप्त रंगशाला या सांस्कृतिक संस्था में मंच परिचर कार्य का एक वर्ष का अनुभव। हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता, साइकिल चलाने की क्षमता।

- 9- तोषो भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष को जिसमें रिक्तियाँ विज्ञप्ति या अधिसूचित की जाये पहली जुलाई को नीचे स्तम्भ §3§ में प्रदर्शित आयु प्राप्त कर ली हो, नीचे स्तम्भ §4§ में प्रदर्शित आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

अकादमी के पूर्णकालिक कर्मचारों/अधिकारियों की अधिकतम आयु 58 वर्ष होगी।

क्र०सं०	पदनाम	निम्नलिखित वर्ष की आयु अवस्य प्राप्त कर ली हो	निम्नलिखित वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो
1.	निदेशक	35 वर्ष	58 वर्ष
2.	सहायक निदेशक	35 वर्ष	45 वर्ष
3.	प्रशिक्षक स्टेज क्राफ्ट	21 वर्ष	32 वर्ष
4.	प्रशिक्षक अभिनय	21 वर्ष	32 वर्ष
5.	प्रशिक्षक शास्त्रीय एवं आधुनिक भारतीय नाट्य	21 वर्ष	32 वर्ष
6.	प्रबन्धक	25 वर्ष	40 वर्ष
7.	प्रशासनिक अधिकारी	21 वर्ष	32 वर्ष
8.	प्रोडक्शन असिस्टेंट कम लाइट एण्ड साउण्ड	21 वर्ष	32 वर्ष
9.	स्टोरकीपर		
10.	आडियो विजुअल टेक्नोशियन	21 वर्ष	32 वर्ष
11.	सहायक लेखाकार	21 वर्ष	32 वर्ष
12.	आधुनिक लिपिक	18 वर्ष	32 वर्ष
13.	स्टेज लाइट ऑपरेटर कम इलेक्ट्रोशियन	18 वर्ष	32 वर्ष
14.	ज्येष्ठ लिपिक	18 वर्ष	32 वर्ष
15.	पुस्तकालय सहायक	18 वर्ष	32 वर्ष
16.	साउण्ड टेक्नोशियन	18 वर्ष	32 वर्ष
17.	लाइट टेक्नोशियन	18 वर्ष	32 वर्ष
18.	लिपिक/टंक/कनिष्ठ लिपिक	18 वर्ष	32 वर्ष
19.	सेमिस्ट्रेस कम वाइरोस असिस्टेन्ट	18 वर्ष	32 वर्ष
20.	डाइवर	10 वर्ष	32 वर्ष
	चपरासी/चौकीदार/क्लोनर/मंच परिचर	18 वर्ष	32 वर्ष

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और आरक्षित श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये।

(संकेत कृपया)
वचिव, संस्कृति विभाग
चंडीगढ़

—13

(संकेत कृपया)
निदेशक
आ. नं. 5 नवम्बर 1971

136

-13-

- 10- सेवा में किसी पद पर मंत्री भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

नियुक्ति : यदि सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वायत्तवादी या नियंत्रणधीन किसी निगम या निकाय द्वारा परचयित व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक उद्यमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।

वैवाहिक स्थिति

11-

सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पड़ते से एक पत्नी जीवित हो :-

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए कोष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता 12-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फ़िजियल टेस्ट युक्त सण्ड-टो भाग-तीन के अध्याय तीन में दिये गये फ़ण्डामेंटल

(श्री. सुनील चन्द्रा) (ज्येष्ठ कृष्ण)

निदेश, संस्कृति विभाग

सांस्कृतिक मन्त्रालय

सचनक

अनु. 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु परदेनिति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता

प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग-पाँच भर्ती की प्रक्रिया

जतियों का अन्वेषण 13- नियुक्त प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों

35

137

-14-

और उन श्रेणी के अभ्यासियों के लिए आरक्षण के लिए वार्डों की संख्या भी अक्षांतर करेगा। चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ सेवायोग्य अभ्यासियों के अभ्युच्चित की जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी सीधे उन अभ्यासियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित कर सकता है जिनके नाम सेवायोजन कार्यालय में दर्जित हों। नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में एक विज्ञापन जारी करने के साथ उसकी एक प्रतिलिपि सूचना-पट पर छपकायेगी। ऐसे सभी आवेदन-पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

14-

1.1: सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति निम्न प्रकार से गठित की जायेगी :

1. एक नियुक्ति प्राधिकारी..... अध्यक्ष।

2. यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न एक अधिकारी का नाम निर्दिष्ट किया जायेगा..... सदस्य।

3. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अपसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग में उपलब्ध न हों तो, ऐसे उपयुक्त अधिकारी, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे, और उपयुक्त अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण उसके द्वारा ऐसा करने में विफल रहने पर, ऐसा अधिकारी मण्डलीय आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा..... सदस्य।

(प्रो. गुप्त)
सचिव, सहायक विभाग
सचिव

(जैसे कि फुल्ल)
सचिव, सहायक विभाग
सचिव

1. Lila Singh

121

चयन समिति नियम - के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों

-15-

138

का सम्यक प्राप्तिनाश्वर्य मानाश्रित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी सूची में अभ्यर्थियों को सहायकार के लिए आमंत्रित करेगी, जो अपेक्षित अर्हताएं पूरा करते हों जैसी वह उचित समझे।

३३। चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता कम से जहां तक सहायकार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की सूची रचितियों की सूची से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत अनधिक होगी। चयन समिति नियुक्त प्राधिकारी को सूची।

पदोन्नति द्वारा मर्ती की प्रक्रिया

15- १।१

पदोन्नति :

ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति माध्यम से, की जायेगी, जिसमें निर्णायक होंगे।

१क। निदेशक,

- अध्यक्ष

भारतेन्दु नाट्य अकादमी
तत्समक।

१ख। निदेशक,

- सदस्य

संस्कृतिक कार्य, उ०प्र०
अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट कम से कम
उपनिदेशक, संस्कृतिक कार्य, उ०प्र०
स्तर का एक अधिकारी।

१ग। एक विशेषज्ञ,

- सदस्य

अध्यक्ष, भारतेन्दु नाट्य अकादमी द्वारा नामित।

१घ। अध्यक्ष भारतेन्दु नाट्य अकादमी द्वारा नामित दो सदस्य
निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
एवं अन्य सम्यक समुदाय का एक-एक
अधिकारी

१ङ। अर्हता सेवा की गणना मर्ती के प्रथम दिवस को
अर्हता। नुतार्ह को की जायेगी।

१च। अर्हता सेवा में मौलिक नियुक्ति / पदोन्नति के
पश्चात् पोषक पद पर की गयी सेवा की ही गणना
में ली जायेगी।

(प्रो. सुनील कुमार -जी)
निदेशक
भारतेन्दु नाट्य अकादमी
दिल्ली

(मैलेन शर्मा)
सहायक निदेशक
पुस्तक प्रबंध विभाग

Lila Lila
(निदेशक)

१२।
१३।

821

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

(135)

-16-

नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पक्षाभ्यांत पात्र सूची या सूचीय उत्तर प्रदेश चयनेमनांत नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करे और उसे उनकी चरित्र पत्रियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ, जो उचित, समझे जाय चयन मांगों के समक्ष रसेगा।

परन्तु जहाँ दो भिन्न पोषक संवर्ग हो :-

कः भिन्न वेतनमान धारण करने की स्थिति में उच्चतम वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

खः समान वेतनमान धारण करने की स्थिति में पात्र सूची में अभ्यर्थियों के नाम अपने-अपने संवर्ग उनकी मैथिक नियुक्त के दिनांक के क्रम में रसे जायेगे।

१४१ चयन समिति उप नियम १२१ में निर्दिष्ट अभितेस के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आकर्यक समझे तो अभ्यर्थियों का सक्षात्कार भी कर सकती है।

१५१ चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस स्तर में हो, जिससे उसकी पदेमनांत की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(जो मुखर कम्पन करी)

निदेशक

मार्गदर्शन अथवा

नियम

(जोलेज कम्पन)

इति, सहायक निदेशक

चयन प्रवेश बाध्य

चयनित चयन
सूची

16-

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदेमनांत दोनों द्वारा की जानी हो, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति में लेकर रसे जायेगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदेमनांत द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग-८: नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

17-

१११

उप नियम १२१ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम-१४, १५ या १६ के अधीन तैयार की गयी सूचियों में से नियुक्तियाँ करेगा।

नियुक्ति

सहि.
नर प्रदे
नियम

721

140

- ५

17- 121

जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में निर्युक्त सीपी भर्ती और पदेनता दोनो द्वारा की जायेगी तब तक नही की जायेगी जब तक कि दोनो स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम-16 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय

131

यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में निर्युक्त के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में आधारित की जाय या जैसी कि उक्त स्तर में हो जिससे उन्हें पदेनता किया जाय। यदि निर्युक्त सीपी भर्ती और पदेनता दोनो द्वारा की जाय तो नाम नियम-16 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रसे जायेगे।

परिवीक्षा

18- 111

सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। निर्युक्त प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय:

(संलग्न कृपया)

वर्षिक, संयुक्त विभाग
वर्षिक आदेश बाबत

(के. सुधीर कुमार शर्मा)
निर्देशक
कार्वाण नम्बर अचलमो
बलनम्

परन्तु आत्मादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

121

यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में निर्युक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या स्तुति प्रदान करने में अन्यथा किफ्त रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई पद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर प्राधिकार न हो, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

Signature
(नाम)
उप
कार्वाण नम्बर विभाग

141

§ 3: ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम § 31 के अधीन प्रत्यक्षरित किया जाय या त्रिहरी सेवाएं समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

§ 4: नियुक्ति प्राधिकारी सम्बर्ग में साम्प्रतित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

§ 5: परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने के उपरान्त यद्यपि परिवीक्षा काल समाप्त कर दिया जायेगा किन्तु पदधारी का स्थायीकरण सम्बन्धित पद स्थायी एवं गठन मुक्त होने पर ही किया जायेगा।

स्थायीकरण

19-

§ 1: उप नियम § 21 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षा व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़यी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि -

§ क: उसका कार्य एवम् आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

§ ख: उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

§ ग: नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

§ घ: पद गठन मुक्त एवं स्थायी होने पर ही पदधारी का स्थायीकरण अनुमत्त होगा।

(जीलेन कृष्ण)
इचिब, संस्कृत विभाग
बलर प्रवेश कायम

(जे. नृपेंद्र कुमार वर्मा)

विभाग
आतंशु नृपेंद्र आनन्दो
परमेश्वर

§ 2:

जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम § 3 के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

20-

किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

21-

§ 1: सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमत्त वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार दाय समय-समय पर अवधारित किया जाय।

§2§

इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्न प्रका
दिये गये हैं :-

क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान
1.	निदेशक	4500-150-5700
2.	सहायक निदेशक	2200-75-2800-द० री०-100-4000
3.	प्रशिक्षक §स्टेज क्राफ्ट§	-तदैव-
4.	प्रशिक्षक §अभिनय§	-तदैव-
5.	प्रशिक्षक §शास्त्रीय एवं आधुनिक भारतीय नाट्य§	2000-60- 1000-50 2300-द० री०- 1200 -75-3200
6.	प्रबन्धक	-तदैव-
7.	प्रशासनिक अधिकारी	1400-40-1600-50-2300-द० री०-60- 2600 3200
8.	प्रोडक्शन असिस्टेंट-कम- लाइट एण्ड साउण्ड स्टोरकीपर	-तदैव-
9.	आडियो विजुअल टेक्नोशियन	1400-40-1800-द० री०-50-2300
10.	सहायक लेखाकार	1200-30-1560-द० री०-40-2040
11.	आशुलिपिक	-तदैव-
12.	स्टेज लाइट आपरेटर कम इलेक्ट्रोशियन	-तदैव-
13.	ज्येष्ठ लिपिक	-तदैव-
14.	पुस्तकालय सहायक	-तदैव-
15.	साउण्ड टेक्नोशियन	975-25-1100-द० री०-30-1660
16.	लाइट टेक्नोशियन	950-20-1150-द० री०-25-1500
17.	लिपिक/टंक/कनिष्ठ लिपिक	-तदैव-
18.	सेमिस्ट्रस-कम-वार्डरोब असिस्टेन्ट	-तदैव-
19.	ड्राइवर	-तदैव-
20.	चपरासी/चौकीदार/क्लीनर/भेंच परिचर	750-12-870-द० री०-14-940

.....20

(11. मयूर-कुमार कर्मा)

आतं:५ ... दायी

अपक

(संलग्न छाप)
इति, संस्कृति विभाग
द्वारा प्रेषित जाय

22-

114

परन्तु यदि स्तोत्र प्रदान न कर सकने के कारण पार्वीक्षा अर्वांध बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अर्वांध की गजना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

§ 2 § ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन पद-
धारण कर रहा हो, परिवर्षा अवधि में वेतन, मुसंगत
फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण पार्वीशा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियमित प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

१३। ऐसे व्यक्ति का जो पढ़ते से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अर्वाण में वेतन राज्य के कार्यालय के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सम्बन्धित नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(०.)

भारतेंद्र नाथ भारद्वाज

समाप्त

दृष्टता रोक पार
करने का मापदण्ड

23-

किसी व्यक्ति को दृष्टा रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

Like Luther

(संक्षिप्त रूप में)
संक्षिप्त, संस्कृति विभाग
संस्कृत भाषा विभाग

144

-21-

आरक्षण

24-

शासन द्वारा समय-समय पर परिचालित आरक्षण विषयक आदेश अकादमी में स्वीकृत / मंजूर हो रहे पदों/संवर्गों पर लागू माना जायेगा।

भाग-अन्य अन्य उपबन्ध

समर्थन

25-

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफ़ारिशों से भिन्न कड़ा सिफ़ारिशों पर, चाहे तिष्ठित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे निषिद्ध के लिए अनर्ह कर देगा।

26-

सभी पदों के पदधारी प्रदेश/प्रदेश के बाहर अकादमी की इकाईयों एवम् रंगमण्डल एवम् उसकी इकाईयों में स्थानान्तरणीय होंगे।

27-

अकादमी के अपने सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा अवकाश, अनुशासनात्मक कार्यवाही बाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति आदि के नियमों के प्रस्थापन तक राज् कर्मचारी आचरण नियमावली के प्राविधान, अवकाश नियम, बाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति एवम् कर्मचारी के अनुशासनिक मामले शासन द्वारा परिचालित क्लासीफिकेशन, कदोत एवम् अपील रुट्स के अनुरूप अकादमी कर्मियों पर लागू होंगे।

28-

अकादमी कर्मचारियों के शासन के अनुमोदन के अनुरूप समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर भत्ता आदि अनुमन्य होंगी।

(सं. ४) ...
...
...

Like ...
...

(मंजूर हुआ)
विविध, संस्कृति विभाग
उपर्युक्त प्रमाण

(145)

॥ परिशिष्ट ॥

॥ नियम 3॥क॥ और 4॥2॥ देखिये॥

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या॥अवधायो॥	नियुक्ति प्राधिकारी
1.	निदेशक	1	अध्यक्ष, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ
2.	सहायक निदेशक	2	-तद्वैव-
3.	प्रशिक्षक ॥स्टेज ड्राफ्ट॥	2	-तद्वैव-
4.	प्रशिक्षक ॥अभिनय॥	1	-तद्वैव-
5.	प्रशिक्षक ॥शास्त्रीय एवं आधुनिक भारतीय नाट्य॥	1	-तद्वैव-
6.	प्रबन्धक	1	-तद्वैव-
7.	प्रशासनिक अधिकारी	1	निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ
8.	प्रोडक्शन असिस्टेंट कम लाइट एण्ड साउण्ड स्टोर कीपर	1	-तद्वैव-
9.	आडियो रिक्रुडल टेक्नीशियन	1	-तद्वैव-
10.	सहायक लेखाकार	1	-तद्वैव-
11.	आभूषणिक	2	-तद्वैव-
12.	स्टेज लाइट ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन	1	-तद्वैव-
13.	ज्येष्ठ चिपिक	1	-तद्वैव-
14.	दुस्तकालय सहायक	1	-तद्वैव-
15.	लाइट टेक्नीशियन	1	-तद्वैव-
16.	साउंड टेक्नीशियन	1	-तद्वैव-
17.	चिपिक/टेक्निकल/जनिबल चिपिक	4	-तद्वैव-
18.	रेजिस्ट्रार कम कार्डरीय असिस्टेंट	1	-तद्वैव-
19.	ड्राफ्ट्समैन	2	-तद्वैव-
20.	चपरासी/चौकीदार/कलीनर/गैस परिचर	6	-तद्वैव-

(प्रो. सुनील कुमार वर्मा)
निदेशक
भारतेन्दु नाट्य अकादमी
लखनऊ

(संतोष कुमार)
उपनिवेश, संस्कृति विभाग
बलर ५२५५ लखनऊ

.....23